न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–11 / 2021

योगेन्द्र पासवान.....वादी

बनाम

लालन पासवान वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

09.10.25 अभिलेख आज वादी की ओर से दिवानी प्रकिया संहिता के आदेश 18 नियम 17 के तहत दाखिल आवेदन दिनांक–21.04.2025 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–09.10.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य पर चल रहा था, परन्तु वादी का ऑपरेशन हो गया जिस कारण वादी अपनी ओर से साक्ष्य नहीं ला सका और न्यायालय द्वारा दिनांक–17.02.2025 को वादी का साक्ष्य बन्द कर दिया गया, जबकि वाद में साक्षी कारू पासवान का आंशिक प्रतिपरीक्षण हुआ था और दिनांक–17.02.2025 को समयावेदन दाखिल किया गया, परन्तु न्यायालय द्वारा वादी का साक्ष्य बन्द कर दिया गया। इसलिए न्यायहित में उपरोक्त आदेश को वापस लेते हुए वादी का साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है, चूँकि वादी की ओर से कागजात का प्रदर्श अंकित नहीं है इसलिए भी साक्ष्य रिकॉल होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.02.2025 को वापस लेने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल अपने प्रत्युत्तर में निवेदन करते हुए कहा गया है कि वादी का आवेदन गलत कथनों के साथ मनगढंत, बेबुनियाद वो सत्यापित नहीं है एवं सत्य से परे है इसलिए खारिज होने योग्य है, वादी को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु जानबूझकर न्यायालय का बहूमूल्य समय बर्बाद करने के नियत से साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करने के कारण उनका साक्ष्य न्यायालय द्वारा बन्द किया गया। अतः वादी का रिकॉल आवेदन को खर्चा सहित खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है तथा दिनांक–17.02.2025 को वादी साक्ष्य बन्द किया गया तत्पश्चात् अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया, परन्तु अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी को साक्ष्य हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेत आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को केवल वादी साक्षी सं0–2 के प्रतिपरीक्षण हेतु मो0 500 / – रुपये खर्च अदा किए जाने के शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है तथा आदेश दिनांक–17.02.2025 को वापस लेते हुए अभिलेख पुनः वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे केवल वादी साक्षी सं0–2 का प्रतिपरीक्षण अविलंब पूर्ण कराएँ।

वाद दिनांक–**30.10.2025** वास्ते पुनः वादी साक्षी सं0–2 के प्रतिपरीक्षण हेतु।

सिविल जज सि0डि0,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।